


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम गोदीलाल वगै०
किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-18 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-18/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
20.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरुंद भूमि ख०न० 234 कुल रकबा 0.0050 है० राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर गैर सायल गोदीलाल वगै० पुत्रान कन्हैया जाति मीना निवासी उकरुंद द्वारा चार दीवारी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.132 रुपये का 50 गुणा 7 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई०एल०आर० /पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> तहसीलदार मण्डावर (दौसा)</p>	